

न्यायालय अति. कलक्टर एवं अति जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

अति. कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 01/2024

Gcms reg. No. 2024/27

प्रार्थी :-

पुलिस अधीक्षक,
बांसवाड़ा

अप्रार्थी :-

बनाम

श्री रमेश पिता श्री मांगीलाल बंजारा
निवासी भवानपुरा, पुलिस थाना राजतलाब, जिला
बांसवाड़ा (राज.)

निर्णय


इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा द्वारा गैर सायल श्री रमेश पिता श्री मांगीलाल बंजारा निवासी भवानपुरा, पुलिस थाना राजतलाब, जिला बांसवाड़ा (राज.) के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत एक इस्तगासा प्रस्तुत कर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 03 के तहत कार्यवाही अमल में लाये जाने निवेदन किया।

पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार निम्नांकित आधारों पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :-

क्र.सं	प्रकरण संख्या कायमी दि.	जुर्म धारा	चालान नम्बर	न्यायालय निर्णय
1	183/06.04.2016	16/54 आबकारी अधिनियम	126/23.04.2016	सजा
2	432/25.10.2016	16/54 आबकारी अधिनियम	315/31.10.2016	सजा
3	463/10.11.2017	16/54 आबकारी अधिनियम	325/20.11.2017	सजा
4	98/10.02.2019	16/54 आबकारी अधिनियम	69/28.02.2019	सजा
5	99/23.11.2022	16/54 आबकारी अधिनियम	75/12.12.2022	सजा

श्री रमेश पिता श्री मांगीलाल बंजारा निवासी भवानपुरा, पुलिस थाना राजतलाब, जिला बांसवाड़ा (राज.) जो अवैध शराब रखने पर आबकारी अधिनियम के तहत पर कुल 5 प्रकरण में आबकारी अधिनियम के तहत दोषसिद्ध ठहराया जाकर सजायाब हुआ है। जिसके उपरान्त भी गैर सायल अवैध आर्थिक लाभ हेतु अवैध शराब बेचने का आदी है। अतः गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही करने निवेदन किया।



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 12-03-2024 को अप्रार्थी गैरसायल उपस्थित हुआ, अप्रार्थी गैरसायल की ओर से श्री आकाश पटेल अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ। दिनांक 18.06.2024 को गैरसायल की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रस्तुत जवाब में यह उल्लेख किया गया कि रमेश पिता मांगीलाल किसी गैंग के सदस्य का नेता नहीं है न ही आदतन अपराधी है न ही किसी अपराध करने के लिये अन्य लोगों को दुष्प्रेरित करता है तथा ऐसा कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है जिसमें किसी को क्षति पहुंचाई हो, लूटपाट की हो, मारपीट की हो या छिनाछपटी की हो। इस कारण से रमेश पिता मांगीलाल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ख के अधिन नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है न ही उसके विरुद्ध अभियोजन चलाया जा सकता है। प्रकरण संख्या 183/16, 4320/16, 463/17, 98/19, 99/22 आदि जो मुकदमे हैं वह धारा 16/54 एक्सार्जिज एक्ट के मुकदमे हैं वह लोक अदालत की भावना से फैसल हो चुके हैं जिसमें सजा का समय निकल चुका है तथा गैरसायल रमेश द्वारा परिविक्षा के अधीन किसी प्रकार का कोई कृत्य ऐसा नहीं है जो भादस. या अपराध की श्रेणी में आता हो। इस प्रकार उक्त गैरसायल रमेश के विरुद्ध कोई भी मुकदमा चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार, मारपीट, गाली गलौच व शांति भंग आदि का कोई कृत्य नहीं किया है न ही किसी को नुकसानी पहुंचाई है तथा चोरी छिपे शराब बेचने का व्यवसाय नहीं करता है तथा उसके स्वतंत्र रहने से कोई जनहानि नहीं हो सकती है तथा समाज को कोई अशांति उत्पन्न नहीं हो रही है तथा उक्त प्रकरणों में झुठा फंसाया गया है। गैरसायल आरोप सार को इस जवाब से नकारता है तथा अनवीक्षा चाहता है एवं गवाह से जिरह करना चाहता है। जिसकी अनुमति दी जावे तथा गैरसायल अपनी प्रतिपरिक्षा में भी साक्ष्य पेश करना चाहता है जिसकी अनुमति न्यायहित में आवश्यक है।

दिनांक 08.07.2024, 29.07.2024 को अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने पर उनके अधिवक्ता द्वारा गैरसायल की ओर से हाजरी माफी प्रार्थना पत्र पेश किया गया। दिनांक 27.08.2024 को गैरसायल को पुनः नोटिस जारी करने पर दिनांक 23.09.2024 को गैर सायल अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होने पर रु. 5000 की जमानत एवं उतनी ही राशि के मुचलके पर आयंदा पेशी दिनांक पर उपस्थित होने पाबंद किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 15.10.2024 को गैरसायल के अनुपस्थित रहने पर उनके अधिवक्ता द्वारा पुनः हाजरी माफी प्रार्थना पत्र पेश किया गया। दिनांक 11.11.2024, 25.11.2024 एवं आज दिनांक 16.12.2024 को गैर सायल अप्रार्थी/ गैर सायल स्वयं एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है, इससे प्रतित होता है कि गैर सायल/ अप्रार्थी श्री रमेश पिता श्री मांगीलाल बंजारा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)





कथित आरोपो के संबंध में कोई साक्ष्य देने / किसी साक्ष्य की परीविक्षा कराने की इच्छा नहीं रखता है। पत्रावली में साक्ष्य बंद कर अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अभियोजन अधिकारी की ओर से प्रस्तुत एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने कथन किया गया कि इस्तागासे के संलग्न दस्तावेजों के अनुसार गैरसायल अवैध शराब रखने के तहत पर धारा 16/54 आबकारी अधिनियम में कुल 5 प्रकरण दर्ज होकर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने पर बाद ट्रायल 5 प्रकरणों में दोष सिद्ध ठहराया जाकर सजायाब हुआ है। गैर सायल अवैध आर्थिक लाभ हेतु अवैध शराब बेचने का आदी है। गैरसायल को पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी/ गैरसायल सुनवाई के दौरान अनुपस्थित है। अतः गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली उसमें संलग्न अभिलेखों तथा अप्रार्थी गैरसायल की ओर से प्रस्तुत जवाब का गहनता से अवलोकन किया। जिससे राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) तथा उसके अनुलग्न स्पष्टीकरण के अवलोकन से यह पुर्णतः स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को तभी "गुण्डा" कहा जा सकता है, जब राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) के खण्ड (i) से (viii) में संदर्भित अपराध प्रमाणित हो जाता है एवं उक्त प्रमाणित अपराध के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा उसे सजा दी गई हो। पुलिस अधीक्षक बांसवाडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरुद्ध अप्रार्थी/ गैरसायल के भी 5 संज्ञेय अपराध किये जाने की सूचना अंकित है एवं परिवाद में तत्सम्बन्धी आवश्यक साक्ष्य/ सबूत पेश किये हैं। अभियोजन अधिकारी द्वारा भी गैर सायल के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरणों में कार्यवाही किये जाने हेतु सिफारीश की गई है। पत्रावली में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद है, अतः अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती है।


चूंकि अप्रार्थी/ गैरसायल को उपर वर्णित 5 प्रकरणों में अपराध प्रमाणित होने से सक्षम न्यायालय द्वारा सजा भी दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी/ गैरसायल श्री रमेश पिता श्री मांगीलाल बंजारा निवासी भवानपुरा, पुलिस थाना राजतलाब, जिला बांसवाडा (राज.) को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) के अनुसार "गुण्डा" घोषित किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि -




अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाडा (राज.)

1. श्री रमेश पिता श्री मांगीलाल बंजारा निवासी भवानपुरा, पुलिस थाना राजतलाब, जिला बांसवाडा (राज.) को जिला बांसवाडा की सीमा से 40 दिवस की अवधि के लिये निष्कासित किया जाता है। इस अवधि में पुलिस थाना सागवाडा जिला डूंगरपुर (राज.) अन्तर्गत क्षेत्र में रहने की स्वीकृति दी जाती है।
2. यदि गैरसायल के विरुद्ध कोई प्रकरण जिला बांसवाडा में स्थित किसी न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेगा, परन्तु इसके पूर्व गैर सायल को संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देनी होगी।
3. अप्रार्थी / गैर सायल को पाबंद किया जाता है कि निष्कासन की अवधि में पुलिस थाना सागवाडा जिला डूंगरपुर में साप्ताहिक उपस्थिति देगा एवं बगैर उनको सूचित किये क्षेत्र नहीं छोड़ेगा और ना ही जिला बांसवाडा की सीमा में प्रवेश करेगा।
4. निष्कासन अवधि के दौरान कोई भी तीखा / धारदार अस्त्र या आयुध, कोई भी मादक पदार्थ / मदिरा, विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु उसके कब्जे में होना या उसके द्वारा उपयोग किया जाना निषेध रहेगा।
5. किसी विशिष्ट शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, मेला, हाटबाजार, सिनेमाघर या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल जैसे सार्वजनिक पार्क, रेस्टोरेंट, होटल अथवा किसी भी सरकारी भवन के समीप से विशिष्ट दूरी के भीतर उपस्थित नहीं हो सकेगा।

निर्णय आज दिनांक 16-12-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अभिषेक गोयल)
 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
 अति. कलकत्ता एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
 बांसवाडा (राज.)